हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 14 अंक : 06 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जुन, 2023

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

NEET-2023

आरक्षण पीड़ित एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को क्षतिपूर्ति करे सरकार: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केबिनेट सचिव, भारत सरकार एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर NEET-2023 के निष्ठावान आरक्षण पीड़ित सफल अभ्यर्थियों को क्षतिपूर्ति कर न्याय दिलवाने की मांग की है। पत्र की प्रति सभी राज्यसभा एवं लोकसभा सांसदों एवं राजस्थान के सभी विधायकों को भी प्रेषित की गई है।

समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में लिखा है कि NEET-2023 का परीक्षा परिणाम अभी हाल ही में जारी किया गया है। इस परीक्षा में पूरे देश भर के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों की एम.बी.बी.एस. की प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए सभी रिक्त सीटों का एक साथ परिणाम जारी किया गया है। यह सर्वविदित है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस. कोर्स करने की फीस और निजी मेडिकल कॉलेजों से एम.बी.बी.एस. कोर्स करने की फीस में 10 से 20 गुणा का अन्तर है। उदाहरण स्वरूप यदि सरकारी मेडिकल कॉलेज से एम.बी.बी.एस. कोर्स करने का खर्चा यदि पांच लाख रूपये है तो निजी मेडिकल कॉलेजों से एम.बी.बी.एस. कोर्स करने का खर्चा 50 लाख रूपये से एक करोड़ रूपये तक आता है एवं अनेक मेडिकल कॉलेजों में तो ये खर्चा 02-03 करोड़ रूपये तक भी होने की जानकारी मिली है।

हम आपका ध्यान देश के उन आरक्षण पीड़ित होनहार, निष्ठावान छात्रों की ओर आकर्षित करना चाहते है जो अपनी मैरीट और रेंक के आधार पर पूरे देश में किसी न किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के हकदार है। अर्थात उनकी मैरीट और रेंक पूरे देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रथम वर्ष की सभी रिक्त सीटों की कुल संख्या के अन्दर है। उदाहरणार्थ यदि पूरे देश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्रथम वर्ष में कुल 50,000 सीटें हैं तो इन 50,000 की मैरीट या रेंक तक अंक लाने वाले मेरिटोरियस बच्चों को देश के किसी ना किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने का निश्चित तौर पर विधिक और संवैधानिक मूल अधिकार प्राप्त है।

दुर्भाग्य से सरकार की आरक्षण नीति के कारण उपरोक्त होनहार कुशाग्रबुद्धि युवाओं में से आधे से अधिक युवाओं को निजी मेडिकल कॉलेजों में धकेल दिया जाता है। ऐसे धकेले गये युवाओं के पास केवल दो ही रास्ते बचते है, या तो वे 10-20-30 गुणा तक खर्चा वहन कर निजी मेडिकल कॉलेजों से एम.बी.बी.एस. का कोर्स करे या यदि उनके अभिभावक आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो पुन: नीट की परीक्षा देने की तैयारी में जुट जाए। दोनों ही अवस्थाओं में देश के हजारों होनहार, योग्यतम युवाओं के साथ अविधिक एवं असंवैधानिक अन्याय और भेदभाव किया जा रहा है।

ऐसे होनहार युवाओं की कोई गलती नहीं है, उनका कोई अपराध नहीं है, वे भी समानता का मूल अधिकार प्राप्त देश के निष्ठावान नागरिक है। देश के ऐसे निष्ठावान, होनहार युवाओं को अकारण आर्थिक रूप से दंडित किया जाना अथवा उन्हें उनकी इच्छा के कोर्स और कॉलेज से वंचित किया जाना अमानवीय, अन्यायपूर्ण एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार का ऐसा उदाहरण है, जिसके लिए भारतीय संविधान अनुमति नहीं देता है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि सार्वजनिक हित में सरकार किसी भी नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों का अपहरण कर सकती है। लेकिन यह भी सर्वविदित तथ्य और स्थापित कानून है कि सार्वजनिक हित में अथवा सरकारी कार्यवाही के दौरान किसी नागरिक के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है या अपहरण होता है या उसे किसी भी तरह का नुकसान होता है तो सरकार उस पीड़ित व्यक्ति को बाजार मूल्य या उससे अधिक से क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य है।

चूंकि हमारे देश में समाज कल्याणवादी प्रजातांत्रिक सरकार की व्यवस्था है, कोई तानाशाही या राजशाही व्यवस्था नहीं है, इसलिए मेडिकल कॉलेजों की प्रवेश परीक्षा में मैरीट और रेंक के हिसाब से जो अभ्यर्थी सरकारी कॉलेजों में प्रवेश का अधिकार पा चुके है उन्हें सरकारी आरक्षण निती के कारण यदि निजी मेडिकल कॉलेजों में धकेला जाता है तो उनके निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के एम.बी.बी.एस. कोर्स के खर्च की अन्तर राशि सरकार सार्वजनिक राहत कोष से देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है। कोई भी सरकार अपनी किसी भी नीति के क्रियान्वयन का सम्पूर्ण बोझ किसी भी एक निरपराध नागरिक के उपर नहीं डाल सकती है।

समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में प्रार्थना की है कि:-

1. नीट 2023 का परीक्षा परिणाम इस प्रकार जारी किया जावे जिससे यह स्पष्ट हो जावे कि कुल कितने अभ्यर्थी देश के किसी न किसी सरकार मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने के अधिकारी है।
2. उपरोक्त संख्या में से जितने अभ्यर्थी सरकार की आरक्षण नीति के कारण निजी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए बाध्य किये जा रहे है उन्हें सरकार की ओर से निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के खर्च/फीस की अन्तर राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाये ताकि समानता का मूल अधिकार सही अर्थों में देश के होनहार युवाओं को भी मिल सके। कृपया उपरोक्तानुसार आदेश तत्काल जारी करवाकर अनुग्रहित करे।

तीन संविधान पीठों के निर्णयों की पालनार्थ NEET- 2023 परीक्षा परिणाम में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से क्रिमीलेयर अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने मेडिकल कॉउन्सलिंग ऑफ इण्डिया एवं मेडिकल कॉउन्सलिंग ऑफ राजस्थान को पत्र लिखकर NEET- 2023 परीक्षा परिणाम मे अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से क्रिमीलेयर अभ्यर्थियों को बाहर किये जाने का अनुरोध किया है।

समता आन्दोलन ने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नीचे अंकित तीन संविधान पीठों ने अपने निर्णयों में यह स्पष्ट निर्देश दिया हैं कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से क्रिमीलेयर को बाहर किया जाना अनिवार्य है ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के वास्तविक पिछड़े, कमजोर और वंचित व्यक्तियों तक आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके:-

1. दिनांक 19.10.2006 को एम.नागराज बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिया निर्णय।
2. दिनांक 26.09.2018 को जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार, समता आन्दोलन समिति एवं अन्य में दिया निर्णय।
3. दिनांक 22.04.2020 को आंध्रप्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के प्रकरण में दिया गया निर्णय।

आपसे आग्रह है कि:-

1. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन संविधान पीठों द्वारा अपने निर्णयों में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायें। और NEET-2023 परीक्षा परिणाम में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से क्रिमीलेयर अभ्यर्थियों को तत्काल बाहर करके संशोधित परिणाम जारी किया जावें।
2. जब तक केन्द्र एवं राज्य सरकारें अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में क्रिमीलेयर व्यक्तियों की पहचान के लिए कोई अलग से अधिसूचना जारी नहीं करती हैं तब तक ओबीसी वर्ग के लिए जारी क्रिमीलेयर अधिसूचना को ही अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में क्रिमीलेयर की पहचान का आधार माना जावें।
3. उपरोक्त निर्णयों की पालनार्थ हमारी प्रार्थना हैं कि NEET-2023 भर्ती के लिये काउन्सलिंग शुरू होने से पहले अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों से नॉन क्रिमीलेयर होने का प्रमाणपत्र मांगा जावें।

अध्यक्ष की कलम से

जटिल उपलब्धि

साथियों,

राजस्थान में पारिवारिकता की दृष्टि से पुत्रवधु को केन्द्र में रखकर एक कहावत अब भी है- "आगली पिछली ने भली कहा देवे है-" इस बात को सत्ता से जोड़कर देखे तो तथ्य बताते है कि सरकार रहते डा. मनमोहन सिंह पर तरह-तरह के आरोप लगते रहे। लेकिन सत्ता बदलाव के बाद पता लगा कि उनकी आर्थिक नीतियाँ बेहद प्रभावशाली थी जो फलीभूत हुई।

ठीक यही बात नरेन्द्र मोदी सरकार पर लागू होती है। लेकिन कुछ अधिक प्रभावशाली ढ़ग से। पहली बात तो यह स्पष्ट है कि नरेन्द्र मोदी का औरा इतना व्यापक हो चुका है कि वो जब तक स्वयं न चाहे तब तक वे ही देश का नेतृत्व करते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि उनकी नीतियों को और उसके परिणामों को समझने में समय लगेगा।

सरकारें जो कुछ करती है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ही सामने आता है और उसी पर शोर-शराबा होता है। लेकिन उसका परिणाम और प्रभाव आगे के सालों में दिखाई देता है। 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश को चलाना जितना जटिल है उससे कई अधिक जटिल है उसकी चाल को समझना।

यह तो है कि केन्द्र सरकार को पार्टी के मेनोफेस्टो और पिछली सरकारों की उपलब्धियों और नीतियों के बीच एक संतुलन रखना पड़ता है लेकिन साथ में ये भी है कि पूरे विश्व में देश की प्रतिष्ठा और छवि में निखार आये। और ऐसा असंदिग्ध रूप से दिखाई देता है। वो भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मर्यादाओं को बनाये रखते हुये। यह एक उत्साहित करने वाला तथ्य है।

जय समता

सम्पादकीय

"एससी-एसटी के बाद अब ओबीसी युग:सामान्य वर्ग टिली लीली"

रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी (तत्कालीन) के एक प्रमुख और तेजस्वी नेता थे। वे अपने कालखण्ड में थोड़े समय के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि जाति आरक्षण की समस्या के समाधान के रूप में जाति आधारित आंकड़ों के अनुसार सभी जातियों को आरक्षण दे दिया जावे। अर्थात शत-प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी जावे।

इसे संयोग ही माना जाना चाहिये कि जिस कांग्रेस को हराकर जनता पार्टी शासन में आयी थी उसी पार्टी के एक नेता के सिद्धान्त अपनाकर 45-46 साल बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में उसी फार्मुले को घोषणापत्र में शामिल करके शानदार जीत हासिल की और सत्ता पर कब्जा किया।

देश में जाति आरक्षण के बारे में आगे क्या होने वाला है इसका प्रत्यक्ष संकेत तब मिल गया था जब केन्द्र सरकार ने जिस कथित सवर्ण वर्ग को नाथने को जो जाति आरक्षण व्यवस्था लागू की थी उसी वर्ग को ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया। इसके खिलाफ ना केवल एससी-एसटी वरन ओबीसी वर्ग भी सुप्रीम कोर्ट में बार-बार गये लेकिन अंतत: जीत संविधान की हुई।

जैसा कि हमने बार-बार लिखा है कि एससी-एसटी वर्ग अब नेतृत्व विहीन हो चुका है। यह बात जाति आधारित आरक्षण को संख्या बल से जोड़ने की पार्टियों की मांग से ओर अधिक स्पष्ट हो गई है। संकेत मिले है कि ओबीसी की जनगणना एससी-एसटी से कहीं अधिक हो गई है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर बिहार और यूपी की क्षेत्रीय पार्टियों ने जो मांग उठायी थी उसे कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी ने झपट लिया है। अत: साफ संकेत है कि अब भारत में एससी-एसटी की धौंस-पट्टी समाप्त होकर कुछ समय के लिए ओबीसी की धौंस-पट्टी शुरू होने वाली है।

केन्द्र की भाजपा सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये साफ है कि भाजपा भी आने वाले चार विधानसभाओं और 2024 के लोक सभा चुनावों में अपना पूरा फोकस ओबीसी पर केन्द्रीत रखने का मानस स्पष्ट कर दिया है। जबकि अपने जन्म से लेकर 42 सालों तक भाजपा ने कथित सवर्ण वर्ग अर्थात ब्राह्मण, राजपूत, कायस्त, सिंधी पंजाबी, महाजन का भरपूर दोहन किया लेकिन फल कुछ भी नहीं दिया।

जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षित वर्गों को आज भी समर्थ हालत तक लाते-लाते अनारक्षित वर्गों को इतना कमजोर किया जा चुका है कि अब न तो उनमें विरोध की सोच बची है और न ही उनका संख्या बल बाकी है। यह एक तरह से उनकी देशभक्ति की भावना का खामयाजा है जो उन्हें भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि भारत में परिवार नियोजन की नीति की अनुपालना कथित सवर्ण समाज ने ही की थी और इसीलिये आरक्षित वर्गों ने सोच-समझ कर जातीया आधारित जनगणना का दाव खेला है।

उपरोक्त सभी तथ्यों से ध्वनित होता है कि योग्यता पर जातीयता का आक्रमण और अधिक बढने वाला है। लेकिन हमारी चिंता इससे भी बड़ी है। और वो ये है कि पूरे देश को जातीय खांचो में बांट देने से जातीयता का भस्मासुर समाप्त होने वाला नहीं है बल्कि यह और अधिक आक्रामक बनने वाला है। अब प्रदेशों में सरकारे जातीय समन्वय का आदर्श भूल जायेगी क्योंकि पार्टियाँ सत्ता स्वार्थ के लिए कितने और कैसे कुत्सित प्रयास करती है ये छुपा हुआ तथ्य नहीं है।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

आरक्षण का विकल्प :: उद्यमिता

जब मैं इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड या योर स्टोरी में पढ़ता हूँ कि फलां-फलां स्टार्ट-अप कम्पनी को 20 करोड की सीड फंडिंग मिल गई या फंडिंग के दूसरे राउंड में फलां-फलां कंपनी ने लाखों डालर की धनराशि प्राप्त की है, तो मुझे बहुत खुशी होती है।

अकसर ऐसी कम्पनियों के मालिक युवा होते हैं, जो किसी आईआईटी या मैनेजमेंट स्कूल की पृष्ठभूमि के लोग हैं। चूंकि इन युवाओं के लिए बहुत से ऐसे मंच उपलब्ध हैं, जहां उन्हें उद्यमिता यानि एंटरप्रिन्योरशिप की ट्रेनिंग दी जाती है, मार्गदर्शन दिया जाता है। उन्हें अपने जैसे अन्य उद्यमी युवाओं और स्थापित निवेशकों से मिलने का मौका मिलता है, अत: उनकी राह कदरन आसान हो जाती है और वे न केवल उद्यमी बन जाते हैं, बल्कि उद्यमी के रूप में उनकी सफलता के अवसर भी बढ़ जाते हैं। स्टार्ट-अप कंपनियों का क्रेज ऐसा है कि देश विदेश की बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ धनराशि का निवेश कर रही हैं। रतन टाटा, नंदन नीलेकणी, एनआर नारायणमूर्ति जैसे नामचीन लोगों ने स्टार्ट-अप कंपनियों में पैसा लगाकर उन्हें नया जीवन देना शुरू किया है। इससे देश में उद्यमिता के लिए एक रचनात्मक माहौल तैयार हो रहा है, जो निश्चय ही शुभ है। इससे अर्थव्यवस्था, देश और समाज, सभी को लाभ होगा। अब ऐसी संस्थाओं की कमी नहीं है, जो उद्यमिता का पाठ उन लोगों को भी पढाने के लिए तैयार हैं, जो आईआईएम या आईआईटी में नहीं जा पाए या जो खानदानी व्यवसायी हैं, लेकिन छोटे व्यवसायों से आगे नहीं बढ़ पाए या जो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे लोग, जो कभी रोजगार खोजने वालों की कतार में शामिल होने के बजाय अन्य लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने लग गए हैं। यानि जॉब-सीकर्स से बदल कर वे जॉब-प्रोवाइडर्स बन गए हैं।

उन्हें सर्वप्रथम उद्यमिता की सैद्धांतिक जानकारी दी जाती है, फिर निर्माण परियोजनाओं की जानकारी दी जाती हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने, बैंकों से कर्ज लेने की जानकारी के अलावा व्यवसाय शुरू करने की सहायक सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं, ताकि नया उद्यमी किसी भी पड़ाव पर कठिनाई न महसूस करे। इस दौरान उन्हें बिजनेस प्रोसेस, व्यवसायिक कानून, अकाउंटिंग के आधारभूत नियमों आदि की जानकारी के साथ-साथ स्थानीय परिस्थितियों को समझने, खाते बनाना और संभालना, उत्पादों की कीमत तय करने का तरीका, बैंकों की भूमिका, वर्किंग कैपिटल का प्रबंधन आदि की जानकारी दी जाती है।

हमारे देश में लोग मैरिट में आगे बढने के बजाय आरक्षण का सहारा लेने को आतुर हैं, चाहे उसमें कितना ही अपमान क्यों न छिपा हो। अपमान सहकर भी पिछड़ी जातियों में शामिल होने की यह ललक केवल भारतीय समाज में ही है। उद्यमिता में ऐसी किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं होती। यहां आपकी कल्पना शक्ति, मेहनत, मार्केटिंग और संपर्कों के बल पर अपने व्यवसाय को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग के नियम और तरीके, मशीनों के रखरखाव के आधारभूत नियमों की पेचिदगियों को भी समझाया जाता है।

उद्यमिता के क्षेत्र में प्रतियोगिता को समझना तो आवश्यक है ही, कच्चे माल की खरीद कब करें, कहां से करें, कैसे करें, किस दर पर करें आदि की जानकारी भी महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि बिक्री से तो लाभ हो ही सकता है, परंतु खरीद में बचाया गया हर पैसा वस्तुत: लाभ ही है। लाभ-हानि का खाता बनाना, फंड के सक्रिय स्त्रोतों की जानकारी रखना आदि भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना किसी भी व्यवसाय का जीवन ज्यादा लंबा नहीं चल सकता। किसी पड़ाव पर बिजनेस इतना मजबूत हो जाता है कि उसे लाभ चाहे न हो, पर हानि भी न हो यानी ब्रेक-ईवन प्वाइंट की जानकारी, परियोजना की कुल कीमत की जानकारी, लाभ-हानि का लेखा जोखा, सरकारी संस्थाओं की भूमिका, लोन-रिपेमेंट आदि को समझना भी आवश्यक है। इससे भी बड़ी बात यह जानना आवश्यक है कि किसी विशेष व्यवसाय के लिए कितने सरकारी विभागों से अनुमति लेना अथवा लाइसेंस लेना आवश्यक है। इन संस्थाओं का मार्गदर्शन इसलिए आवश्यक है, क्योंकि नया बना उद्यमी सारे नियम न जानता है और न जान सकता है। ऐसी सक्षमता वाली संस्थाएं नए उद्यमियों को मार्गदर्शन करके उन्हें कानूनी ढंग से अपना स्टार्ट-अप चलाना सिखा सकती हैं।

उद्यमिता के कई लाभ हैं। पहला तो यह कि यह नए रोजगार के सृजन में सहायक है। दूसरा यह अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक है। तीसरा इससे पैसे से पैसा बनता है और एक समय ऐसा भी आता है तब उद्यमी अपने उद्योग में समय लगाए बिना भी उससे पैसा कमा सकता है। उद्यमिता का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी रोजगार प्रदान कर सकता है और उद्यमी की अगली पीढियों को अपने लिए रोजगार खोजने की समस्या से नहीं जूझना पड़ता। गरीबी के अभिशाप से बचने का सबसे बढिया उपया यही है कि देश में उद्यमिता को बढावा दिया जाए। इसके लिए सरकारों की ओर से किए जाने वाले प्रयास इतने आधे-अधूरे हैं कि उनकी उपस्थिति ही महसूस नहीं होती और अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। निजी उद्योग और एनजीओ मिलकर भी कई कार्यक्रम चलाते हैं, जिनसे सीमित लाभ ही मिल पाता है।

मोदी सरकार ने बहुत से अभिनव कदम उठाए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कोई सार्थक कदम उठायेगी। दरअसल, आरक्षण, सबसिडी आदि की बैसाखियों के सहारे चलना सीखना एक बात है और उसे जीवन भर का संबल बना लेना बिलकुल अलग बात है। यह खेद का विषय है कि हमारे देश में लोग मैरिट में आगे बढने के बजाय आरक्षण का सहारा लेने को आतुर हैं, चाहे उसमें कितना ही अपमान क्यों न छिपा हो। अपमान सहकर भी पिछड़ी जातियों में शामिल होने की यह ललक केवल भारतीय समाज में ही है। उद्यमिता में ऐसी किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं होती। यहां आपकी कल्पना शक्ति, मेहनत, मार्केटिंग और संपर्कों के बल पर अपने व्यवसाय को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। अत: देश को गरीबी के गर्त से निकालने के लिए यह आवश्यक है कि बचपन से ही बच्चों को उद्यमिता का पाठ पढाया जाए, उद्यमिता के गुरों की जानकारी दी जाए, प्रतियोगिता को समझने और प्रतियोगिता के बावजूद अपने लिए नई पोजीशनिंग ढूंढने की कला किसी व्यवसाय की सफलता की गारंटी है। सवाल सिर्फ यही है कि हम जॉब सीकर बने रहना चाहते हैं या जॉब प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। यदि सरकार इस ओर ध्यान दे और इसके लिए सार्थक प्रयास करे तो यह बहुत संभव है कि देश की अर्थव्यवस्था को संबल मिले और हमें बार-बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन न करना पड़े,खुद को गरीब और विकासशील देश न कहना पड़े। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार, समाज और उद्योग मिलकर इस दिशा में काम करेंगे और वह सुबह शीघ्र ही आएगी, जब हम विकासशील देश के बजाय विकसित देश कहलाने के काबिल हो जाएंगे।

- पी.के. खुराना -
दिव्य हिमाचल से साभार

पौराणिक कथन : "असुरगण"

देवताओं के समकक्ष और विरोधी। दस युगों तक इन्होंने त्रिलोक पर शासन किया। कुल 12 युद्धों के बाद त्रिलोक मुक्त हो सकें।

ऐसा वैसा करते करते,
हम अपनों से दूर हुए है।
जाती के सारे हरकारे,
घन धमंड से चूर हुये है।।

कविता

दूर-दूर तक मृग मीचिका

आरक्षण का गीत सुनाने,
जाने कितने लोग खड़े हैं।
जिनने पिलाया अमृत उनको,
वे सारे बेहोश पड़े है।
नीति नियंता असमंजस में,
किसको रोके किसे मनावे।
मन मंदिर की प्रतिमा खंडित
लेकिन ये सच किसे बतावें।
दूर-दूर तक मृग मरीचिका-
सच भरने को रिक्त घड़े है।।
आरक्षण का गीत सुनाने,
जाने कितने लोग खड़े हैं।
जिनने पिलाया अमृत उनको,
वे सारे बेहोश पड़े है।
जाति धर्म के ढोल नगाड़े,
मानवता की चीख न सुनती।
संसद सरकारों से मिलकर-
बिन सूत के चादर बुनती।
सबके अपने अपने धड़े है।।
आरक्षण का गीत सुनाने,
जाने कितने लोग खड़े हैं।
जिनने पिलाया अमृत उनको,
वे सारे बेहोश पड़े है।
चलो चले कुछ अच्छा सोचे,
सबसे ऊपर देश धर्म है।
काले गोरे हर शरीर को,
रखे संभाले सिर्फ चर्म है।
याद रखो मंथन की महिमा
नवरत्नों के दृश्य बड़े है।।
आरक्षण का गीत सुनाने,
जाने कितने लोग खड़े हैं।
जिनने पिलाया अमृत उनको,
वे सारे बेहोश पड़े है।

-- नूपुर जैमिनी --

दूसरा उपाय या रास्ता

गतांग से आगे:

अनिवार्यताएँ

यह सब सुनिश्चित करने के लिए तीन बातें जरूरी हैं- पहली बात, जैसा समीक्षा से स्पष्ट हो गया है, न्यायाधीशों को अपनी प्रवृति का विश्लेषण करना होगा, जिसके चलते वे राजनीतिक वर्ग की दुष्प्रवृतियों को बढ़ावा देते रहे हैं-

* उन्हें यह देखना होगा कि वे लोकवाद से प्रभावित नहीं हैं ।
* उन्हें मौजूदा मामले पर कोई टिप्पणी या निर्देश देने से पहले यह देखना होगा कि उसका बाद में उठनेवाले मामलों के संदर्भ में क्या परिणाम होगा; और जैसा हम कुछ न्यायाधीशों के शब्दाडंबर का उदाहरण देख चुके हैं, उन्हें इस ओर भी ध्यान देना होगा ।
* उन्हें अपने उन आधार वाक्यों या टिप्पणियों का विश्लेषण करना चाहिए, जिन्हें लेकर राजनीतिक वर्ग देश को इस प्रकार चोट पहुँचा रहा है, और यह विचार करना चाहिए कि ऐसे में वे किसी काल्पनिक क्रांति का माध्यम बनकर देश का हित कर सकते हैं या उसे सुरक्षित रखकर ।
* सामाजिक क्रांति की बात करके प्रगतिवादी न्यायाधीश जो क्रांतिकारी घोषणाएँ करते रहे हैं, उनसे संविधान की आत्मा को चोट पहुँचाने की योजना को एक प्रकार का तार्किक आधार ही मिला है । अंततः इससे राजनीतिक वर्ग की दुष्प्रवृति को भी बल मिला है । सन् 1960 के दशक में भी वास्तव में जो जरूरत थी वह भी ऐसी घोषणाओं या धारणाओं की, जो राजनीतिक वर्ग को रूककर पश्चावलोकन करने के लिए विवश कर सकती, ऐसी घोषणाओं या धारणाओं की आवश्यकता नहीं थी जो राजनीतिक वर्ग को उसी गलत दिशा में आगे बढने के लिए प्रोत्साहित करे । आज की परिस्थितियों में- जब राजनीतिक वर्ग गलत दिशा की ओर पूरी तरह से प्रवृत हो चुका है, जब यह राजनीतिक वर्ग इस प्रकार भटक चुका है कि कोई छोटा सा समूह या वर्ग भी उसे इस दिशा में काफी आगे धकेल सकता है, जब वह इतना छिद्रान्वेषी हो गया है कि उसके सर्वोच्च प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप में यह कहते हुए भी कि अमुक कदम से अंततः देश को क्षति पहुँचेगी, उस कदम के पक्ष में आवाज बुलंद करते हैं और ऐसा करके वे संबंधित वर्ग या समूह की नजरों में स्वयं को उनका समर्थक बनाने की कोशिश करते हैं- इसकी आवश्यकता और भी ज्यादा है । कुल मिलाकर तथ्य यह है कि संरक्षण सदैव ही न्यायपालिका की उपयुक्त भूमिका रही है और आज भी यह आवश्यक है ।
* उदारवादी न्यायाधीशों को विशेष रूप से अपनी उन टिप्पणियों और आधार वाक्यों तथा निर्णयों पर विचार करना चाहिए, जिनसे राजनीतिक वर्ग के लिए आधा रास्ता पहले ही तैयार हो जाता है । इंद्रा साहनी मामले में दिए गए पाँच वर्ष के

जो लोग नवीन भारत के निमार्ण में लगे हैं- अपनी सृजनशीलता अथवा नव-प्रवर्तन से, अपनी मेहनत से या उत्कृष्टता के लिए अपने प्रयास से- उन्हें संगठित होना चाहिए और इस प्रकार अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए ।

स्थगन आदेश को देखते हुए, अर्हताओं-मानदंडों में ढील देने के विषय पर दिए गए विधिक परामर्श को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि राजनीतिक वर्ग अपने तात्कालिक स्वार्थ के लिए संविधान के अंतर्गत रखे गए आदर्श की योजना को भी बिगाड देने में कोई कसर नहीं छोडेगा।

दूसरी बात, जो लोग स्वयं देख रहे हैं कि राजनीतिक वर्ग देश को किस खाई में धकेल रहा है और जो लोग इस संबंध में कुछ करने का जज्बा रखते हैं, उन्हें इन जातिवादियों से सबक लेना चाहिए । ये जातिवादी विधायिकाओं के भीतर भी सक्रिय हैं और बाहर भी, सेवाओं के भीतर भी हैं और बाहर भी तथा वे संगठित भी हैं। इसी कारण हर राजनीतिक दल को उनके आगे झुकना पडता है । राज्य-दर-राज्य यही परिपाटी दिखाई देती है, यह सच है कि राजनीतिक वर्ग समाज और देश को जिस प्रकार जातिवाद के आधार पर बाँट रहा है, उससे अनेक लोग चिंतित हैं; लेकिन इस पर विरोध का अगर कोई स्वर उठता है तो वह व्यक्तिगत स्तर पर ही कभी इस ओर से तो कभी उस ओर से उठता है ।

अतः जो लोग नवीन भारत के निमार्ण में लगे हैं- अपनी सृजनशीलता अथवा नव-प्रवर्तन से, अपनी मेहनत से या उत्कृष्टता के लिए अपने प्रयास से- उन्हें संगठित होना चाहिए और इस प्रकार अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए ।

तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा हम देख चुके हैं, स्तरों या मानदंडों में इस तरह गिरावट लाने के पीछे मूल कारण सार्वजनिक जीवन में लोगों की गुणवत्ता का गिरता स्तर ही रहा है ।यह गुणवत्ता का स्तर भी कई कारणों से गिर रहा है ।

इन कारणों में से एक कारण ढाँचा अथवा व्यवस्था भी है । यह सच है कि कोई भी ढाँचा ऐसा नहीं होता, जिसे परिष्कृत या संशोधित न किया जा सके ।यह भी उतना ही सच है कि लगभग हर ढाँचे की अपनी अच्छाईयाँ होती हैं । लेकिन ढाँचा और आचरण दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं । उदाहरण के लिए - चुनाव क्षेत्र जितना छोटा होगा, किसी नेता के लिए वहाँ जातिवादी धारणा फैलाकर स्वयं को स्थापित करना उतना ही आसान होगा ।इसके विपरीत यदि समूचा भारत एक ही चुनाव क्षेत्र में होता - यानी कार्यपालिका के प्रमुख का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता तो जातिवादी राजनीति के बल पर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता ।

अतः एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि वर्तमान व्यवस्था के विकल्पों पर विचार किया जाए।

पूर्व-अनिवार्यताएँ

लेकिन इसके लिए भी एक बात बहुत जरूरी है । सार्वजनिक बहस को कायरता अथवा संकुचन से बाहर निकाला जाना चाहिए और इस प्रकार उसे एक ठोस स्वरूप दिया जाना चाहिए। हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, मीडिया और राजनीतिक वर्ग की तो बात ही अलग है । जब तब 'गरीब-विरोधी' ठप्पे से डरकर बैठा रहेगा, तब तक हम इस खाई से बाहर नहीं आ सकेंगे ।

आज स्थिति यह है कि यदि आप 'दलित' शब्द-जिसे आज के छिद्रान्वेषी राजनेता अपनी राजनीति का हथियार बना चुके हैं - के स्थान पर 'हरिजन' शब्द का प्रयोग भर दें, बस आपको तुरंत 'मनुवादी' की उपाधि दे दी जाएगी और इस प्रकार आप अत्याचारी बन जाएँगे, जो लाखों - करोडों लोगों को फिर से अछूत बना देने के लिए गुप्त षडयंत्र में लगा हो ।

यदि आरक्षण के बारे में सच्चाई की ओर ध्यान आकर्षित करें - कि यह राजनेताओं का एक हथियार बन गया है, वे पिछडों या वंचितों को बेहतर शिक्षा, छात्रावास सुविधा, अतिरिक्त और बेहतर कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की बजाय उनके लिए नौकरियों में 'आरक्षण' की माँग करते हैं और इस प्रकार वे स्वयं को उनके मसीहा के रूप में दिखाते हैं तथा दावा करते हैं कि वे पिछडों के लिए वरदान लेकर आए हैं । यह वरदान भी सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में, यानी सरकारी सेवाओं में, कि इससे विभिन्न जातियाँ स्वयं को पिछडी जाति की सूची में शामिल करवाने की कोशिश में रहती हैं कि कई राज्यों में आरक्षण का सारा लाभ पिछडे वर्ग में मौजूद कुछ प्रभावशाली लोगों के समूह द्वारा हडप लिया जाता है कि जिस अनुपात में आज आरक्षण दिया है वह उस अनुपात से भी बहुत ज्यादा है जो डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में स्वयं सुझाया था या सिर्फ इतना ही अनुरोध करें कि इन बातों की जाँच कराई जाए, तो तुरंत आपको 'मनुवादी' करार दे दिया जाएगा ।

शुरू में 'वर्ग' के नाम पर सभी प्रकार की आक्रामकता को न्यायसंगत ठहराया गया ।जब इस पर भी संपन्न वर्ग चुप रह गया तो कम्युनिस्टों और समाजवादियों को लगा कि वर्ग का राग अलापकर वे अपने आधार को मजबूत नहीं बना सकते ।फिर शुरू हुई जातिवादी राजनीति । और उन्हें इसका आधार कहाँ से मिला ? न्यायपालिका के इस दृष्टिकोण से - 'भारत में जाति ही वर्ग है ।' और जैसा हमने देखा, प्रगतिवादी न्यायाधीशों ने भी इसे एक व्यावहारिक राग बना लिया ।

- शेष अगले अंक में

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से

NEET-2023 के मेघावी बच्चों को समता आन्दोलन का उपहार

जयपुर। हाल ही नीट की परीक्षा में जो मेरिटोरियस बच्चे एससी-एसटी-ओबीसी या सामान्य वर्ग से आये है उनके हित में वीडियो जारी करके समता आन्दोलन ने कहा है कि जातिवादी आरक्षण से पीड़ित ध्यान दें कि एससी-एसटी में क्रिमीलेयर का सिद्धान्त सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों द्वारा लागू किया जा चुका है। अर्थात किसी भी सूरत में क्रिमीलेयर को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जावे। लेकिन सरकारें इसे लागू करने की हिम्मत कर नहीं पा रही है। और पीड़ित पक्ष अदालतों का द्वार खट-खटा नहीं रहा है। अत: आरक्षित जो भी बच्चे चुने गये है लेकिन उनके उपर क्रिमीलेयर के बच्चे बैठ गये है तो पीड़ित पक्ष मुकदमा दायर करे या समता आन्दोलन के पास आये। हम आपकी मुफ्त सहायता करेंगे।

ओबीसी और सामान्य वर्ग के लिए एक ही आधार है क्योंकि अब वे भी ईडब्ल्यूएस के माध्यम से आरक्षित वर्ग में माने जाने लगे है।

लेकिन जैसे राजस्थान का उदाहरण ले तो यहां एससी-एसटी-ओबीसी-एमबीसी-ईडब्ल्यूएस को मिलाकर कुल 64 प्रतिशत आरक्षण चल रहा है। इनमें ओबीसी और एमबीसी के मिलाकर 26 प्रतिशत बच्चे आ रहे है उनके लिए सूचना है कि उन्हें जो मजबूरी में सरकारी के बजाए प्राइवेट कॉलेजों में जाना पड़ रहा है तो वे भी रिट लगा सकते है जिससे उन्हें प्राइवेट-सरकारी कॉलेजों में फीस का अन्तर दिलवाया जा सकता है।

तीसरी बात ये है कि सामान्य वर्ग के बच्चों को तो बहुत ही नुकसान हो रहा है क्योंकि 64 प्रतिशत जो आरक्षित बच्चे है उनका खामियाजा इन निर्दोष बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और मजबूर होकर निजी कॉलेजों में जाना पड़ रहा है जहाँ फीस एक से पांच करोड़ रूपये तक होती है। यदि वे सम्पर्क करें तो समता आन्दोलन उन्हें भी फीस का अन्तर दिलवा सकता है। क्योंकि मैरीट में आने के बावजूद उन्हें नीचे धकेला जा रहा है तो वे निजी कॉलेजों का खर्चा नहीं उठा पाने के कारण दुबारा परीक्षा देते है। आरक्षण मूलत: सरकार की योजना है क्योंकि वो इसे जनहित मानती है। वैसे ये जनहित है या नहीं ये अलग मामला है। इस पर भी काम किया जा रहा है।

सरकार को ये अधिकार है कि जनहित के नाम पर किसी का भी अधिकार छीन सकती है लेकिन साथ ही ये भी संवैधानिक अधिकार है कि सरकार उसकी भरपाई पीड़ित को मार्केट रेट के आधार पर करेगी। इसी आधार पर सामान्य वर्ग के मेघावी बच्चे यदि समता आन्दोलन के माध्यम से रिट लगाते है तो ऐसे बच्चों का हाई कोर्ट तक का सारा खर्च समता आन्दोलन वहन करेगा।

वीडियो जारी करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने अपील की है कि यदि कोई समता आन्दोलन की बजाय किसी वकील से रिट लगाना चाहता है तो ये वीडियो अपने वकील को दिखा दे। हम आवश्यकता पड़ने पर तीन-तीन संविधान पीठों के फैसलों के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध करवाकर उनकी जीत में सहयोग करेंगे।

हम सभी मेघावी बच्चों के साथ है। और एक खास बात ये है कि राजस्थान में मीणा समाज के लिए जोधपुर हाईकोर्ट का स्पष्ट फैसला है कि वे सामान्य वर्ग में है। लेकिन वे आजकल मीणा के स्थान मीना के सर्टिफिकेट बनवा रहे है जो गलत, गैरकानूनी और असंवैधानिक है। गैर मीणा आदिवासी की पूरे देश की सीटे मीणा, मीना बनकर हड़प रहे है इसे रूकवाया जा सकता है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ओबीसी के समान क्रिमीलेयर की अधिसूचना जारी की जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने कैबिनेट सचिव, भारत सरकार, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, एवं सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार, व राजस्थान सरकार को पत्र लिखकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ओबीसी के समान क्रिमीलेयर की अधिसूचना जारी किये जाने का अनुरोध किया है।

समता आन्दोलन समिति ने अपने पत्र में लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नीचे अंकित तीन संविधान पीठों ने अपने निर्णयों में यह स्पष्ट निर्देश दिया हैं कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से क्रिमीलेयर को बाहर किया जाना अनिवार्य है ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के वास्तविक पिछड़े, कमजोर और वंचित व्यक्तियों तक आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके:-

1. दिनांक 19.10.2006 को एम.नागराज बनाम भारत सरकार एवं अन्य के प्रकरण में दिया निर्णय।
2. दिनांक 26.09.2018 को जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम भारत सरकार, समता आन्दोलन समिति एवं अन्य में दिया निर्णय।
3. दिनांक 22.04.2020 को आंध्रप्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य के प्रकरण में दिया गया निर्णय।

पत्र में आग्रह किया गया है कि उपरोक्त तीनों संविधान पीठों की पालनार्थ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ओबीसी के समान क्रिमीलेयर की अधिसूचना तत्काल जारी की जावे ताकि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के वास्तविक पिछड़े, कमजोर और वंचित व्यक्तियों तक आरक्षण एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके।

रोस्टर पंजिकायें एवं संख्यात्मक आंकड़े ऑन लाइन संधारित किये जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने मुख्य सचिव एवं कार्मिक सचिव को पत्र लिखकर संवैधानिक प्रावधानों और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार रोस्टर पंजिकायें एवं संख्यात्मक आंकड़े ऑन लाइन संधारित किये जाने का अनुरोध किया है।

समता आन्दोलन ने अपने पत्र में लिखा है कि तत्कालीन मुख्य सचिव के आदेशानुसार कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 27.10.2020 को परिपत्र जारी करके राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा प्रत्येक सेवा संवर्ग से संबंधित नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में आरक्षण दिये जाने से संबंधित पृथक-पृथक रोस्टर पंजिकायें संधारित किये जाने के अनिवार्य निर्देश जारी किये गये थे। इन रोस्टर पंजिकाओं को अनिवार्य रूप से प्रत्येक विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने और उनके लिंक कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिये अनिवार्य निर्देश दिये गये थे।

दुर्भाग्य से उपरोक्त निर्देशों की विभिन्न विभागों द्वारा केवल खानापूर्ति की गई है। किसी भी विभाग की वेबसाइट या कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 01.04.2021 के पश्चात कोई रोस्टर पंजिका अपडेट नहीं की गई है। रोस्टर पंजिकाओं को प्रत्येक छ: महिने में अद्यतन रूप से अपडेट किया जाना चाहिये। इसके साथ ही इन रोस्टर पंजिकाओं का उपयोग प्रत्येक आरक्षित वर्ग का उस संबंधित सेवा संवर्ग में कुल प्रतिनिधित्व दिखाये जाने के संबंध में भी किया जाना चाहिये। ताकि संवैधानिक प्रावधानों और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुरूप संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर पर्याप्त/अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का सर्वेक्षण अलग से करने की आवश्यकता नहीं हो।

यह सर्वविदित है कि किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व देखने के लिए किसी सेवा संवर्ग में उस वर्ग विशेष की आरक्षित और अनारक्षित पदों पर कार्यरत व्यक्तियों की संख्या का कुल योग विचारित किया जाना अनिवार्य है।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार के सभी विभागों में संधारित ऑन लाइन रोस्टर पंजिकाओं को प्रत्येक छ: माह में अनिवार्य रूप से अद्यतन/अपडेट किया जाता रहे। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन ऑनलाइन रोस्टर पंजिकाओं के नीचे ही प्रत्येक आरक्षित वर्ग के लोक सेवकों का निर्धारित कोटा (आरक्षण प्रतिशत के आधार पर) और कुल प्रतिनिधित्व (आरक्षित और अनारक्षित पदों पर कार्यरत वर्ग विशेष के लोकसेवकों की कुल संख्या) स्पष्ट और अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाती रहे।

पेंशन कम्यूटेशन राशि की रिकवरी अवधि घटाई जाए: समता आन्दोलन

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को ज्ञापन प्रस्तुत कर पेंशन कम्यूटेशन राशि की रिकवरी अवधि घटाये जाने का अनुरोध किया है।

इस संदर्भ का पत्र समता आन्दोलन समिति द्वारा पूर्व में भी दिनांक 02.12.2021 को लिखा जाकर अनुरोध किया गया था।

समता आन्दोलन समिति ने पुन: लिखे गये पत्र में अनुरोध किया है कि राज्य एवं केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय अपनी पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट करवाकर अग्रिम राशि के रूप में प्राप्त करने की सुविधा मिली हुई है। यह राशि आगामी 14-15 वर्षों में पेंशन में से ब्याज सहित कटौती करके वसूल की जाती है और कर्मचारियों को इस कटौती अवधि (14-15वर्ष) के पूरा होने के पश्चात् ही पूरी पेंशन मिलने लगती है।

उपरोक्त कम्युटेशन राशि की वसूली की गणना पुरानी ब्याज दरों के आधार पर की हुई है, जो बहुत ज्यादा अर्थात् 10 से 12 प्रतिशत हुआ करती थी उस समय कम्यूटेशन राशि वसूली की गणना 8-8.5 प्रतिशत की दर से की गई थी । पिछले कुछ वर्षों में ब्याज की दरों में भारी गिरावट आयी है। आज की तारीख में सावधि जमा पर अधिकतम ब्याज दरें 5-6 प्रतिशत रह गयी है तब कम्यूटेशन राशि वसूली की गणना 4-4.5 की दर से किये जाना न्यायोचित है। अत: पुरानी ब्याज दरों के आधार पर सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन में से कम्यूटेशन राशि की वसूली 14-15 वर्षों तक करते रहने से देश के वरिष्ठ नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है जो अविधिक होने के साथ-साथ अन्यायपूर्ण भी है। उपरोक्त के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री से पुन: निवेदन किया गया है कि:-

1. सभी सेवानिवृत्त लोकसेवको की पेंशन में से कम्युटेशन राशि वसूली अवधि की गणना शनै:-शनै: घटती ब्याज दरों के आधार पर पुन: करवायी जायें। जिनकी वसूली पूरी हो चुकी है उन्हें तत्काल पूरी पेंशन दिया जाना शुरू किया जावे। जिनकी वसूली अवधि ब्याज दर के आधार पर घट चुकी है उन्हें घटी हुई वसूली अवधि की सूचना तत्काल दी जाये।
2. जिन सेवानिवृत्त लोकसेवकों से कम्यूटेशन राशि पुरानी ब्याज दरों के आधार पर अधिक अवधि तक वसूल की जाती रही है उन्हें अधिक वसूल की गयी राशि का ब्याज सहित पुन: भुगतान तत्काल करवाया जावे।

आजादी के 75वें वर्ष में प्रधानमंत्री से तीन न्यायसंगत मांगों के लिए चौथा स्मरण-पत्र

जयपुर। समता आन्दोलन समिति ने देश की आजादी के 75वें वर्ष में अपनी तीन न्यायसंगत मांगों के लिए प्रधानमंत्री को चौथा स्मरण पत्र लिख कर निम्न तीन न्यायसंगत मांगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन दिया गया है:-

1. पदोन्नति में जाति आधारित आरक्षण की अन्यायपूर्ण, अराजक और दमनकारी व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा प्रदत एम.नागराज बनाम भारत सरकार-2006 के निर्णय की पालना करते हुये तत्काल समाप्त किया जावे।
2. अजा/अजजा में गरीब, वंचित और पिछड़े लोगों को इसी वर्ग के "नव शोषक वर्ग" से सुरक्षा दिलवाने के लिए क्रीमिलेयर वर्ग को बाहर करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय की तीन-तीन संविधान पीठों के निर्णय (एम.नागराज बनाम भारत सरकार-2006, जरनेल सिंह बनाम भारत सरकार-2018 और चैम्बरलू लीलाप्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश-2020) की पालना करते हुये अजा/अजजा वर्ग से क्रीमिलेयर को बाहर करने की अधिसूचना तत्काल जारी की जावे।
3. ओबीसी वर्ग के आरक्षण को असली गरीब, वंचित, पिछडे लोगों तक पहुंचाने के लिए, इस आरक्षण को जाति आधारित आरक्षण के श्राप से मुक्त करने के लिए और तथाकथित क्रीमिलेयर की हास्यास्पद अधिसूचना को न्यायसंगत बनाने के लिए कृपया आर्थिक कमजोर वर्ग EWS के अनिवार्य पांच मानदण्डों को पूरे देश में ओबीसी में भी तत्काल लागू किया जावे।

पत्र में लिखा है कि हम आपकी, आपकी सरकार की और अन्य किसी भी राजनैतिक दल की मजबूरियों को समझते हैं। इसीलिए आजादी के 75वें वर्ष में आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मांग के बजाय हर वर्ग के हित में उपरोक्त तीन न्यायसंगत मांग रख रहे हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 75 वर्षों से अकारण अन्याय झेल रहे दो करोड से अधिक लोकसेवकों को न्याय दिलवाने के लिए और अजा/अजजा/ओबीसी वर्ग के असली वंचित, गरीब, पिछड़ों तक आरक्षण व सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आप जैसा न्यायप्रिय और निर्भीक शासक निश्चित ही त्वरित सकारात्मक निर्णय ले पायेगा और अन्य राजनेता या दल भी वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर निर्दोष, कर्मठ लोकसेवकों और असली वंचित पिछडें कमजोर लोगों के हित में लिए गये आपके निर्णय का सरल मन से समर्थन करेंगे।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in